श्री कामेश्वर सिंह 'सहायक प्रोफेसर'
राजनीति विज्ञान, रोहतास महिला कालेज सासाराम
वर्ग - बी० ए० पार्ट - III (प्रतिष्ठा)
पत्र संख्या - VI ; क्रमिक नं० - 28
राजनीतिक विचारक - डा० पुखराज जैन।
दिनांक - 29-05-2020

प्रश्न :- कौटिल्य के वैदेशिक नीति (षड्गुण Six Fold Policy) का वर्णन करें।

उत्तर :- अर्थशास्त्र के सप्तम अधिकरण में कौटिल्य ने वैदेशिक नीति संबंधी अपने विचार को "षड्गुण" सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट किया है। इसके अनुसार किसी राज्य की वैदेशिक नीति मुख्यतः छः प्रकार की हो सकती है। वे है - संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधीभाव।

(1) सन्धि :- कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए सन्धि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राजा की शक्ति को नष्ट करना तथा स्वयं को बलशाली बनाना होता है। उनके अनुसार शत्रु से भी उस समय सन्धि कर ली जानी चाहिए, जबकि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो और स्वयं को सबल तथा शत्रु को निर्बल करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक हो। कौटिल्य के अनुसार सन्धि कई प्रकार की हो सकती है - दुर्बल राजा पर तीन प्रकार की सन्धि थोपी जा सकती है। दंडोपनत सन्धि, कोषोपनत सन्धि, देशोपनत सन्धि।

(2) विग्रह :- विग्रह का अर्थ युद्ध है। इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे, स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएँ हों तथा वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हो। विग्रह नीति का अनुसरण करने के पूर्व राजा के द्वारा राजमंडल के मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त कर लेने की भी व्यवस्था कर ली जानी चाहिए। विग्रह नीति अपनाते हुए शत्रु के उपर आक्रमण करके राज्य की भूमि के भागों को तुरन्त अपने अधीन कर लिया जाना चाहिए।

(3) यान :- यान का अभिप्राय वास्तविक आक्रमण है। इस नीति को तभी अपनाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को मजबूत देखे और ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के

मार्ग को अपनाये बिना शत्रु को वश में करना सम्भव नहीं है। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है, यान विग्रह से कुछ आगे है।

(4) आसन :- जब कोई राजा उदासीन और शान्त होकर चुपचाप बैठ जाता है और किसी अन्य राज्य पर चढ़ाई करने की योजना नहीं बनाता, तो उस नीति को आसन कहा जाता है। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन करने की निरन्तर चेष्टा की जानी चाहिए।

(5) संश्रय :- संश्रय का अर्थ बलवान का आश्रय लिये जाने से है। यदि राजा शत्रु को हानि पहुँचाने की क्षमता नहीं रखता, साथ ही यदि वह अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो, तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है, वह शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो। यदि इतना बलवान राजा न मिले, तो साहस शत्रु की ही शरण ली जानी उचित है।

(6) द्वैधीभाव :- द्वैधीभाव की नीति से कौटिल्य का आशय एक राज्य के प्रति सन्धि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति को अपनाने से है। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्वैधीभाव नीति अपनायी जानी चाहिए।

कौटिल्य के अनुसार जो नीति उपयुक्त हो, वही अपनायी जानी चाहिए। अतः कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति इतनी व्यापक है कि सभी राज्य कम-अधिक रूप में इस पर आचरण करते रहते हैं। वैदेशिक नीति के सफल संचालन हेतु कौटिल्य ने भी साम, दाम, दण्ड और भेद, इन चार उपायों का विधान किया है। कौटिल्य का मत है कि साम दाम से, दाम भेद से, एवं भेद दण्ड से श्रेयस्कर होता है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी विशिष्ट स्थिति में कोई एक निश्चित उपाय ही उपयुक्त हो सकता है। जैसे - शत्रु से शंकित शत्रु के अमात्यों को सामनीति के द्वारा आसानी से वश में किया जा सकता है, शत्रु राजा के विरोधी अमात्यों को दाम द्वारा वशीभूत किया जा सकता है, शत्रु के संदिग्ध अमात्यों पर भेद नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। एवं शत्रु के शक्तिशाली अमात्यों को दण्ड के द्वारा वश में किया जा सकता है। The End.

Scanned by CamScanner